भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1194

(शुक्रवार, 9 फरवरी, 2018/20 माघ, 1939 (शक) को दिया गया)

मुखौटा कंपनियों के खिलाफ अभियान

1194. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने काले धन, जानबूझकर चूक करने वालों एवं दोषी निदेशकों के खिलाफ अभियान शुरू किया है तथा यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या अनेक पंजीकृत कंपनियों के खिलाफ विमुद्रीकरण के पश्चात् अधिकारियों द्वारा कार्रवाई की जा रही है;
(ग) यदि हां, तो विमुद्रीकरण के पहले कितनी कंपनियां पंजीकृत थीं एवं विमुद्रीकरण के पश्चात् कितनी कंपनियां बंद हो गईं;
(घ) क्या कई कंपनियां काफी समय से अपने व्यापारिक कार्यकलाप नहीं कर रही हैं;
(ङ) यदि हां, तो अब तक वैसी कितनी कंपनियों की पहचान की गई है तथा उक्त कंपनियों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और
(च) संबंधित दिशानिर्देशों का ब्यौरा क्या है तथा मुखौटा कंपनियों के निदेशकों के खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

विधि और न्याय एवं कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. पी. चौधरी)

(क) से (च): कंपनी अधिनियम, 2013 में इसके अधीन निगमित कंपनियों के नियमन का अधिदेश है। तथापि, निदेशकों की अयोग्यताओं के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अधीन प्रावधान विहित किए गए हैं। धारा 164(2)(क) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति जो किसी ऐसी कंपनी में निदेशक है या रहा है, जिसने लगातार किन्हीं तीन वित्तीय वर्षों की

.....2/-

अवधि के दौरान वित्तीय कथन या वार्षिक रिटर्न फाइल नहीं किए हैं, उस कंपनी के निदेशक के रूप में पुन:नियुक्ति या किसी अन्य कंपनी में निदेशक के रूप में उस तारीख से जबकि उक्त कंपनी ऐसा करने में असमर्थ रही, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्ति के लिए पात्र होगा। इस अधिनियम की धारा 167(1)(क) में यह भी प्रावधान है कि किसी निदेशक का पद उस स्थिति में रिक्त होगा जबकि वह इस अधिनियम की धारा 164 में निर्धारित किसी आधार पर अयोग्य हो गया हो। इसके अतिरिक्त, कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और अर्हता) नियम, 2014 के नियम 14(2) में कंपनियों से अपेक्षा की गई है कि वे ऐसा होने पर अपने निदेशकों के ब्यौरे कंपनी रजिस्ट्रार को एक विहित प्ररूप डीआईआर-9 फाइल करके सूचित करे। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 167 के साथ पठित धारा 164(2)(क) के अधीन लगातार पूर्वर्ती तीन वित्तीय वर्षों (2013-14, 2014-15 और 2015-16) के लिए वित्तीय कथन या वार्षिक रिटर्न फाइल न करने के लिए 3,09,619 निदेशकों की अयोग्य के रूप में पहचान की गई थी। इसके अतिरिक्त, धारा 248(1)(ग) में कंपनियों के रजिस्टर से ऐसी कंपनी का नाम हटाने का प्रावधान है यदि वह कंपनी तत्काल पूर्ववर्ती दो वित्तीय वर्षों से कोई व्यवसाय या परिचालन नहीं कर रही है और उसने उक्त अवधि के अंदर इस अधिनियम की धारा 455 के अधीन निष्क्रिय कंपनी का दर्जा प्राप्त करने के लिए कोई आवेदन नहीं किया है। उपर्युक्त प्रावधान के आधार पर 31 मार्च, 2017 तक इस श्रेणी के अधीन 2.97 लाख कंपनियों की पहचान की गई और निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करने के बाद 31 दिसंबर, 2017 तक कंपनियों के रजिस्टर से 2,26,166 कंपनियों के नाम हटा दिए गए। उपर्युक्त 3,09,619 अयोग्य निदेशकों में से 2,10,116 अयोग्य निदेशक, नाम काटी गई कंपनियों के बोर्ड में निदेशक थे।

*****